बताने की कृपा करेंगे कि वन उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारियों तथा बिचौलियों के शोषण से आदिवासियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : आदिवासी विकास व वन राज्य सचिवों तथा आदिवासी विकास सहकारी निगमों/वन विकास निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के 23-24 जून, 1988 को हुए सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में ट्राइफेड ने, आदिवासियों को यथाशक्य ऊंचे दाम (जिन पर ट्राइफेड उनका माल उठाने पर राजी हो) दिलाने के उद्देश्य से प्रकीर्ण वन्य उत्पादों के विपणन में राज्य संघों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि बिचौलियों और आढ़तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण न हो सके। ट्राइफेड ने बहुत से प्रकीर्ण वन्य उत्पादों व कृषि उपज की जिंसों के अपने सामान क्रय-मूल्य निर्धारित किए हैं ।

2 संघ ने अपनी स्थापना के पहले वर्ष में जिन्स साल बीज, गोंद-कतीरा, हड़, नीजर बीज, बड़ी इलायची, रीठा, काजू व लाख एम एफ पी/एस ए पी की आठ जिंसों का व्यापार किया। ट्राइफेड द्वारा नियत ज्यादातर जिंसों के क्रय मूल्य गत वर्ष के मुकाबले ऊंचे थे ।

3 आदिवासियों को उनकी उपजों के उचित एवं पर्याप्त मूल्य दिलाने के उद्देश्य से ट्राइफेड, उपजों के विपणन में अपने कार्यकलापों में और तेजी ला रहा है। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासियों से इमली व काजू मध्य प्रदेश सरकार को बिकवाने के लिए ट्राइफेड राज्य सरकार से बातचीत कर रहा है। ट्राइफेड ने चालू वर्ष में अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों से सरसों की सीधी खरीद की व्यवस्था की है ।

डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्पोर्टस क्लब के शेड का तोड़ा जाना

2562. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्पोर्टस क्लब के उस शेड को तोड़ दिया है जो प्राधिकरण ने कुछ वर्ष पूर्व बनाया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह शेड कब बनाया गया था और कितनी लागत पर, कितनी; और

(घ) क्या डेमोलीशन स्क्वाड ने हाल ही में बनी बहुउद्देशीय व्यायामशाला और मूल्यवान उपकरणों को तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा को भी तोड़ दिया;

(ङ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम ने हाल में इस क्लब के लिए शौचालयों का निर्माण किया था ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने कुछ अनधिकृत निर्माणों को गिराया है जो पार्क के उपयोग के लिए उद्दिष्ट क्षेत्र पर निर्मित किए गए थे। तथापि, निर्माणों को गिराने के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी के कर्मचारियों ने दिसम्बर, 1984 में 29705 रुपये की लागत से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित शेड को भी गिराया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा को नष्ट नहीं किया गया परन्तु इसे पुनः स्थापना के लिए रखा गया है ।

(ङ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसने किसी शौचालय का निर्माण नहीं किया है ।

2563. [*Transferred to the 30th March, 1989*]

Mandays Lost due to Strike and Lockouts

2564. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the total number of mandays lost

during 1987-88 and 1988-89 due to strikes, lock-outs and other reasons; and

(b) the steps taken by Government to minimise the number of man-days lost?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) Information on mandays lost is maintained by calendar years. Based on the latest available information, the number of mandays lost due to strikes, lockouts and lay-offs during 1987 and 1988 is given below:—

Mandays lost (in millions)

Year	Strike	Lock-out	Lay-off
1987	14.03	21.33	3.10
1988 (Jan.-Nov.) (Provisional)	10.87	18.43	2.01

(b) The Government have been maintaining a close and continuous watch on the industrial relations situation in the country. The Industrial Relations Machinery both at the Centre and in the States are taking steps to resolve disputes and reduce work stoppages through preventive mediation, conciliation and arbitration. As appropriate Governments under the Industrial Disputes Act, 1947, the Central and the State Governments have been taking steps to regulate lockouts and lay-offs under the relevant provision of that Act.

Labour Courts and Industrial Tribunals in the country

2565. SHRI T. R. BALU:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of Labour Courts and Industrial Tribunals in the country;

(b) the number of industrial disputes pending in the Labour Courts|Tribunals as on date;

(c) the number of cases which are more than three, five and ten years old;

(d) the number of industrial disputes settled by Labour Courts|Tribunals during the last three years year-wise;

(e) whether the Conference of State Labour Ministers in the recent past took a decision to double the strength of Labour Courts|Industrial Tribunals; and

(f) if so, whether it has been implemented; if not, the reasons therefor and the steps taken by Government to dispose of the long pending industrial disputes?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) There are eleven Central Government Industrial Tribunals-cum-Labour Courts in the country, set up by the Central Government. As per available information, the Industrial Tribunals and Labour Courts set up by the various State Governments|Union Territory Administrations number 212.

(b) to (d) The number of industrial disputes pending with the Central Government Industrial Tribunals-cum-Labour Courts as on 31-12-1988 was 2839. The number of industrial disputes disposed of by them during 1986, 1987 and 1988 was 456,509 and 675 respectively. The number of disputes pending with the Central Government Industrial Tribunals-cum-Labour Courts, which are over three years old, is 244. These, however, exclude the pending cases with those Tribunals at Dhanbad, Jabalpur and New Delhi in respect of which information is not readily available. Information relating to year-wise disposals and pendency of industrial disputes year-wise with the Industrial Tribunals and Labour Courts functioning under the State Governments|Union Territory Administrations is not readily available.